क्रम-संख्या--163(क)

रजिस्टर्ड नं० ए० डी०—4

लाइसेन्स सं० डब्ल्यू० पी०—41

(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड-(क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 11 मार्च, 1983

फाल्गुन 20, 1904 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 902/सत्रह-वि0-1-1 (क)—19-82

लखनऊ, 11 मार्च, 1983

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1982 पर दिनांक 10 मार्च, 1983 ई0 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1983 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1983

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 4 सन् 1983)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के चौंतीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 1983 कहा जायगा।

(2) यह 25 जून, 1982 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 29, सन् 1974 द्वारा यथा संशोधित और पुनः अधिनियमित राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10 सन् 1973 की धारा 58 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 धारा 58 में, उपधारा (1) में,—

(क) प्रथम परन्तुक में, शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द 'पांच वर्ष" रख दिये जायेंगे ;

(ख) द्वितीय परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिया जायगा, अर्थात्—

"परन्तु यह और कि यदि उक्त पांच वर्ष की अवधि की समाप्ति पर महाविद्यालय का कोई विधिपूर्वक गठित प्रबन्धतन्त्र न हो तो प्राधिकृत नियंत्रक इस रूप में कार्य करता रहेगा, जब तक कि राज्य सरकार का यह समाधान न हो जाय कि प्रबन्धतन्त्र का विधिपूर्वक गठन हो गया है :

परन्तु यह भी कि राज्य सरकार इस उपधारा के अधीन दिये गये किसी आदेश को, किसी भी समय, प्रतिसंहृत कर सकती है ।"

निरसन और अपवाद

—(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1982 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 58 के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित उपर्युक्त अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

आज्ञा से,
गंगा बख्श सिंह,
सचिव ।

No. 902(2)/XVII-V-1—1(Ka)-19-82

Dated Lucknow, March 11, 1983

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Rajya Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 4 of 1983) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on March 10, 1983:

THE UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 1983

[U. P. ACT NO. 4 OF 1983]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

further to amend the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and commencement.

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh State Universities (Amendment) Act, 1983.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 25, 1982.

Amendment of section 58 of the President's Act no. X of 1973 as amended and re-enacted by U. P. Act no. 29 of 1974.

2. In section 58 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, in sub-section (1),—

(*a*) in the first proviso, *for* the words "four years" the words "five years" shall be *substituted*;

(*b*) *for* the second proviso, the following proviso shall be *substituted*, namely :

"Provided further that if at the expiration of the said period of five years, there is no lawfully constituted Management of the college the Authorised Controller shall continue to function as such, until the State Government is satisfied that the Management has been lawfully constituted :

Provided also that the State Government may, at any time, revoke an order made under this sub-section."

Repeal and savings.

3. (1) The Uttar Pradesh State Universities (Second Amendment) (Second) Ordinance, 1982, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under section 58 of the Uttar Pradesh State Universities Act, 1973, as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of that Act as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
G. B. SINGH,
Sachiv.